

न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी - मुकेश कुमार मूड RAS.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 35/2019

दायर तारीख :- 12.07.2019

1. ताराचन्द पुत्र गोपाल जाति जाट नि० हिगोनिया तह० कि०रेनवाल जिला जयपुर
प्रार्थी

बनाम
1. सुमित्रादेवी पत्नि गुरुवचन जाति जाट नि० हिगोनिया तह० कि०रेनवाल जिला जयपुर
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 212 रा०टी०ऐ०

उपस्थित :- श्री लोकोश रामो विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री प्रभुवचन वनो विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी
निर्णय

निर्णय दिनांक 21/8/2019

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खं०नं० 721/692 रकबा 14 विस्वा वाकें ग्राम डूंगरी प०ह० जोरपुरा सुन्दरियावास तह० कि०रेनवाल जिला जयपुर राज० में स्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज है व आराजी का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी की आराजी के लगते हुये ही अप्रार्थी खं० 2 की आराजी खं०नं० 804/692 व अप्रार्थी सं० 1 की आराजी खं०नं० 768/693 स्थित है प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 1 की आराजी खं०नं० 805/692 स्थित है प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी के पूर्व में एक ही नम्बर थे परन्तु उक्त खतरा नम्बरान का विभाजन होने से भिन्न भिन्न खं०नं० अंकित किये जाकर उनके नाम खातेदारी दर्ज की गई। प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 1 की आराजी के खं०नं० अलग अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजीयात का विभाजन होने के पश्चात् मौके पर सही रूप से सीमाकन नहीं हो रखा है तथा विधि अनुसार पुख्ता पत्थरगढी अथवा सीमा मौके पर कायम नहीं है। मौके पर पत्थरगढी व पुख्ता सीमा कायम नहीं होने से तथा मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का एक ही चक बना हुआ है अप्रार्थी अपनी आराजी का विधि अनुसार सीमाकन किये बिना व पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये बिना अपनी आराजी को दीगर व्यक्तियों को बेचान, रहन, हस्तान्तरण आदि करने पर आमादा है तथा दीगर व्यक्तियों को जबरन कब्जा करवाने पर आमादा है यदि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की आराजीयात बिना सीमाकन व पत्थरगढी करवाये दीगर व्यक्तियों को बेचान, रहन हस्तान्तरण कर दिया गया तो प्रार्थी को इस प्रकार की असहनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से किया जाना सम्भव नहीं है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 06.07.2019 को कुछ अजनबी व्यक्तियों के साथ विवादित आराजीयात पर आये तथा प्रार्थी के हिस्से की आराजीयात को अपनी बताते हुये बेचान रहन, हस्तान्तरण किये जाने का वार्तालाप करने लगे जिस पर प्रार्थी ने उनको ऐसा करने से मना किया तथा बादअरस्त आराजीयात पर पुख्ता सीमाकन व सीमाचिन्ह कायम करने के लिए कहा तो अप्रार्थी


PK
कलक्टर
सांभर लेक

- इंकार हो गये तथा बादग्रस्त आराजीघात को बिना सीमांकन व पत्थरमढी करवाये बिना ही बेचान रहन हस्तान्तरण करने की धमकी दी इसलिए यह प्रा०पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री प्रभूदयाल वर्मा ने वकालतनामा व जवाब प्रा०पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया तथा अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किये जाने में हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।
 3. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमावन्दी संवत् 2072-75, नकल नवशा ट्रेस की प्रतिया पेश की है।
 4. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। उक्त आराजी औद्योगिक प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन से नामान्तरण स्वीकार हुआ है। उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रा०पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 21/5/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
साभर लेख